<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>18.08.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय इकाई, नई दिल्ली ने सागा समूह के पोंजी घोटाले, जिसमें लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) तथा अन्य संबद्ध सहकारी समितियां शामिल हैं, के संबंध में समीर अग्रवाल एवं उनके सहयोगियों से जुड़े मुंबई और भोपाल स्थित अनेक आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 13.08.2026 से 16.08.2026 तक तलाशी कार्रवाई की। तलाशी कार्रवाई के दौरान ईडी ने बड़ी संख्या में अपराध-संकेती दस्तावेज़ जब्त किए तथा अपराध की आय को भी फ्रीज किया, **जिसमें ₹30 करोड़ से अधिक मूल्य के सूचीबद्ध शेयर एवं प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड, एलआईसी पॉलिसियां, बैंक खातों में जमा राशि आदि तथा 9 महंगे वाहन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, तलाशी कार्रवाई के दौरान ईडी ने ₹1.53 करोड़ की नकदी, लगभग ₹35 लाख मूल्य की विदेशी मुद्रा तथा ₹5.25 करोड़ मूल्य के स्वर्ण आभूषण एवं चांदी की सिल्लियां भी जब्त कीं।**

प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के पुलिस प्राधिकारियों द्वारा एलयूसीसी और उससे संबद्ध सहकारी समितियों के समूह के विरुद्ध दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच प्रारंभ की थी। इन एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2009 से समीर अग्रवाल (सागा) समूह द्वारा संचालित आवर्ती जमा, सावधि जमा तथा मासिक आय योजनाओं में निवेश करने के लिए आम जनता को धोखाधड़ीपूर्वक प्रेरित किया गया। निवेशकों को तीन से पांच वर्षों के भीतर निवेश राशि दोगुनी अथवा तिगुनी होने के उच्च एवं सुनिश्चित प्रतिफल के साथ-साथ कारों जैसे उपहार देने का भी आश्वासन दिया गया, जबकि ऐसे प्रतिफल का आधार बनने वाली कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि मौजूद नहीं थी। फर्जी बैंकिंग ढांचे तथा अवास्तविक प्रतिफल के आश्वासनों का उपयोग कर सागा समूह ने आम जनता से धोखाधड़ी द्वारा ₹10,000 करोड़ से अधिक की राशि एकत्र की। प्रारंभ में निवेशकों को कुछ भुगतान किए गए, तथापि निवेश की अधिकांश राशि को समीर अग्रवाल तथा उनके सहयोगियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए तथा एजेंटों एवं सहयोगियों को कमीशन देने हेतु विपथित कर दिया गया।

आम जनता से धनराशि मुख्यतः नकद रूप में एकत्र की जाती थी और उसे क्षेत्रीय नकदी केंद्रों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता था। तत्पश्चात प्रवर्तकों द्वारा शेल कंपनियों तथा हवाला माध्यमों का उपयोग कर इस धनराशि का विपथन भारत एवं विदेशों में चल एवं अचल परिसंपत्तियों में निवेश के लिए किया जाता था। तलाशी के दौरान की गई जांच में ऐसी 50 से अधिक शेल संस्थाओं के एक विस्तृत नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जो निदेशालय द्वारा चिन्हित संचालकों के नियंत्रण में थीं।

समीर अग्रवाल, जिन्हें सागा समूह का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) तथा प्रमुख नियंत्रक बताया गया है, देश छोड़कर फरार हैं। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में दो अलग-अलग अनंतिम कुर्की आदेशों के अंतर्गत परिसंपत्तियों को पहले ही अनंतिम रूप से कुर्क कर चुका है। इसके अतिरिक्त, समूह के एक प्रमुख पदाधिकारी रवि शंकर तिवारी को पीएमएलए के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 14.07.2026 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 24.07.2026 को माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई।

आगे की जांच जारी है।